कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 52/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.02.2026

मिशन शक्ति 5.0 एवं साइबर क्राइम कौशल कार्यशाला का भव्य आयोजन

आज दिनांक **07.02.2026** को जनपद आजमगढ़ के **हरिऔध कला केन्द्र** में परिक्षेत्रीय स्तर पर **मिशन शक्ति 5.0 एवं साइबर क्राइम कौशल कार्यशाला** का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों एवं छात्राओं को **महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव एवं सड़क सुरक्षा** के प्रति जागरूक एवं दक्ष बनाना रहा।

☐ कार्यक्रम के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं—

- इस कार्यशाला में **आजमगढ़ परिक्षेत्र** के जनपद **आजमगढ़, मऊ एवं बलिया** से मिशन शक्ति व साइबर हेल्प डेस्क से जुड़े पुलिसकर्मी प्रतिभागी रहे।
- कार्यक्रम में **04 विद्यालयों की छात्राओं** ने भी सहभागिता की, जिससे उन्हें साइबर सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।
- **मिशन शक्ति कार्य दक्षता परीक्षा** का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों जनपदों के **कुल 100 पुलिसकर्मियों** ने प्रतिभाग किया।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा **पुलिस उप-महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, श्री सुनील कुमार सिंह** का हरिऔध कला केन्द्र में पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया।
- **सुदीक्षा न्यू राह फाउंडेशन, आजमगढ़** के बच्चों द्वारा प्रेरणादायी **सांस्कृतिक कार्यक्रम** प्रस्तुत किया गया।

☐ मिशन शक्ति 5.0 पर विस्तृत जानकारी—

- अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण **श्री चिराग जैन** द्वारा **मिशन शक्ति 5.0 अभियान**,
  - मिशन शक्ति केन्द्र,
  - महिला बीट व्यवस्था,
  - महिला बीट अधिकारियों की भूमिका

  के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
- क्षेत्राधिकारी सदर **सुश्री आस्था जायसवाल** द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया, जिनमें—
  - महिला अपराधों पर त्वरित कार्यवाही
  - वीमेन पावर लाइन 1090
  - ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग
  - महिला साइबर सेल
  - महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी/परामर्श केन्द्र
  - एण्टी रोमियो स्क्वाड
  - परिवार परामर्श केन्द्र
  - भरण-पोषण से संबंधित विधिक सहायता

  शामिल हैं।

☐ साइबर जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा—

- अपर पुलिस अधीक्षक यातायात **श्री विवेक त्रिपाठी** द्वारा साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की गईं।

□ साइबर विशेषज्ञ रक्षित टंडन द्वारा जागरूकता—

- प्रख्यात **साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन** द्वारा **ऑनलाइन माध्यम** से पुलिसकर्मियों एवं छात्राओं को साइबर अपराधों के नवीन तरीकों एवं उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।
- उनके द्वारा विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया—
  - सोशल मीडिया फ्रॉड एवं फेक प्रोफाइल से बचाव
  - ऑनलाइन ठगी, फिशिंग व ओटीपी फ्रॉड
  - सुरक्षित पासवर्ड एवं टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का महत्व
  - महिलाओं एवं बच्चों को साइबर बुलिंग से सुरक्षित रखने के उपाय
  - साइबर अपराध होने पर त्वरित शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

□ सम्मान समारोह—

- कार्यक्रम के अंत में **पुलिस उप-महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, श्री सुनील कुमार सिंह** द्वारा—
  - मिशन शक्ति कार्य दक्षता परीक्षा में **टॉप 04 पुलिसकर्मियों**,
  - कार्यक्रम के **मंच संचालनकर्ता**,
  - **हाफ लेमन रेडियो, आजमगढ़**
  - सु-दीक्षा नई राह फाउडेशन, आजमगढ़

    को **मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित** किया गया।

मोमेंटो प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के नाम—

1. म0उ0निरीक्षक **कोमल**, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ
2. **आरक्षी मुकेश**, थाना पकड़ी, जनपद बलिया
3. म0आरक्षी **अमृता यादव**, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
4. म0आरक्षी **रागिनी कन्नौजिया**, थाना भीमपुरा, जनपद बलिया
5. म0उप-निरीक्षक **पूनम विश्वकर्मा**, थाना सिधारी, आजमगढ़ *(कार्यक्रम की मंच संचालनकर्ता)*
6. **शिवम चतुर्वेदी**, हाफ लेमन रेडियो, आजमगढ़
7. सु-दीक्षा नई राह फाउडेशन, आजमगढ़ के संचालनकर्ता

➡ □ यह कार्यशाला **मिशन शक्ति 5.0** के उद्देश्यों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों एवं छात्राओं को **साइबर अपराधों के प्रति सजग एवं सशक्त** बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई।

उक्त कार्यक्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुवन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी, एएसपी प्रेमसुख दड़िया, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, साइबर सेल के मुख्य आरक्षी श्री ओम प्रकाश जायसवाल**, अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण, जनपद के **विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, पत्रकार बन्धु**, साथ ही जनपद **बलिया एवं मऊ** से आए **साइबर/महिला हेल्पडेस्क के पुलिसकर्मी** उपस्थित रहे।

प्रेस नोट
थाना – गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
साइबर फ्रॉड के ₹36,500/- वापस कराए गए
पूर्व की घटना—
दिनांक **10.07.2025** को आवेदक **प्रशांत राय पुत्र गोपाल राय**, निवासी **गोमाडीह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़** के **HDFC बैंक खाते** से एक **.APK फाइल** के माध्यम से ₹36,500/- की साइबर ठगी हो गई थी। घटना की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी **शिकायत संख्या 33101250075064** है।
रिफण्ड/वापसी का विवरण—
उक्त शिकायत पर **थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार सिंह** के निर्देशन में साइबर टीम थाना गम्भीरपुर द्वारा नियमानुसार जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक के मोबाइल फोन में एक **हानिकारक .APK फाइल इंस्टॉल** हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके बैंक खाते से ₹36,500/- की धनराशि डेबिट हो गई।
तत्परता दिखाते हुए साइबर टीम द्वारा आवेदक के मोबाइल फोन को स्कैन कर **.APK फाइल को अनइंस्टॉल** कराया गया तथा फ्रॉड से संबंधित **पूरी धनराशि ₹36,500/- को फ्रॉडस्टर के खाते में फ्रीज** कराया गया। तत्पश्चात नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए **फ्रॉड की गई सम्पूर्ण धनराशि ₹36,500/- आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।**
धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा **पुलिस विभाग के प्रति आभार व्यक्त** किया गया।
साइबर सेल थाना गम्भीरपुर की टीम—

1. **थानाध्यक्ष** – श्री अखिलेश कुमार सिंह
2. **उपनिरीक्षक** – श्री विपिन कुमार द्विवेदी
3. **महिला कांस्टेबल** – सुश्री सुषमा सरोज

➡ जनपद पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी **अनजान लिंक, APK फाइल या संदिग्ध कॉल** से सतर्क रहें तथा साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल **1930** या **cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस–नोट
थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़
शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार
पूर्व की घटना/इतिहास—
दिनांक **05.02.2026** को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री के साथ अभियुक्त **रोहित पुत्र राजकुमार**, निवासी **ग्राम मुर्की, थाना केराकत, जनपद जौनपुर** द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा अब वह शादी करने से इन्कार कर रहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी।
उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर **मु0अ0सं0 38/2026**, धारा **69, 351(3) बीएनएस** पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना **वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री सुरेश चन्द्र मिश्र** द्वारा की जा रही है।
गिरफ्तारी का विवरण—
आज दिनांक **07.02.2026** को वरिष्ठ उपनिरीक्षक **श्री सुरेश चन्द्र मिश्र** द्वारा हमराह पुलिस बल के साथ कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **रोहित पुत्र राजकुमार** को **जिवली तिराहा** से समय **11:50 बजे** गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
नाम – **रोहित पुत्र राजकुमार** निवासी – ग्राम मुर्की, थाना केराकत, जनपद जौनपुर उम्र – लगभग **24 वर्ष**
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. **वरिष्ठ उपनिरीक्षक** – श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, थाना बरदह
2. **हेड कांस्टेबल** – श्री संदीप सिंह, थाना बरदह
3. **कांस्टेबल** – श्री सतिभान सिंह, थाना बरदह

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना – मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

किशोरी को बहला–फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास (संक्षेप में)—

दिनांक **31.01.2026** को *वादी मुकदमा* द्वारा थाना मेंहनगर पर सूचना दी गई कि अभियुक्त **रंगोली पुत्र राम सिंह,** निवासी **उमरी गनेशपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़**, द्वारा दिनांक **06.01.2026** को समय लगभग **03:00 बजे दिन** नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर अपने साथ ले जाकर गायब कर दिया गया था। उक्त घटना के संबंध में थाना मेंहनगर पर **मु0अ0सं0 37/2026**, धारा **87, 137(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा **64 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक **06.02.2026** को **उपनिरीक्षक तुषार त्रिपाठी** मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त **रंगोली पुत्र राम सिंह** को **जाफरपुर** से समय **14:50 बजे** गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

नाम – **रंगोली पुत्र राम सिंह** निवासी – उमरी गनेशपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 **37/2026**, धारा **137(2)/87/64 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट**, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. **उपनिरीक्षक** – तुषार त्रिपाठी
2. **कांस्टेबल** – सोनू यादव
3. **कांस्टेबल** – अजय कुमार राय थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

➡ जनपद पुलिस नाबालिगों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा ऐसे अपराधों में **त्वरित एवं कठोर कार्यवाही** सुनिश्चित की जा रही है।

<u>प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 07.02.2026 जनपद आजमगढ़</u>

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में **जेल में काटी गयी अवधि 3 वर्ष 05 माह के कारावास से दण्डित किया गया**।

थाना पवई में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) रखने के आरोप में **जेल में काटी गयी अवधि 3 वर्ष 05 माह के कारावास से दण्डित किया गया**।

➡ दिनांक- 07.09.2022 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामकिशोर शर्मा थानाध्यक्ष पवई जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त सोनू गौड पुत्र दयासागर गौड निवासी ग्राम -माहूल थाना -अहरौला जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 1.1 किलो गांजा बरामद होना**।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 265/2022 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ कुल 11 गवाह परीक्षित हुए।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 07.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त सोनू गौड पुत्र दयासागर गौड निवासी ग्राम -माहूल थाना -अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में काटी गयी अवधि 3 वर्ष 05 माह के कारावास से दण्डित किया गया**।

उत्तर प्रदेश पुलिस